न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः– 93/प्रा0पत्र/2024 दायरा दिनांक :–21.06.2024

GCMS ID—2024/122

उनवान

1. रामनारायण आ0 बिशना जाति बलाई निवासी कालाभाटा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी राज।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत

वकील प्रार्थी :– श्री महेश नामा

वकील अप्रार्थीगण :– पेरोकार सरकार

आदेश

दिनांक : 12.05.2025

प्रार्थी का मुख्य रूप से कथन है कि भूमि खसरा संख्या 2088 रकबा 0.7122 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2095/3897 रकबा 0.4290 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.1412 हैक्टेयर वाके ग्राम कालाभाटा पटवार मण्डल अलोद में विस्थित है, जो प्रार्थी की सहखातेदारी में दर्ज है, प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की खातेदारी की उक्त भूमियों पर आने जाने का रास्ता सिवायचक भूमि खसरा संख्या 2093 से होता हुआ सिवायचक भूमि खसरा संख्या 2094 से प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 2095/3897 पर जाता है, जिस पर होकर प्रार्थी अपनी कृषि भूमियों पर आता जाता है एवं ट्रेक्टर, टॉली वगै0 लाता ले जाता आ रहा है, परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से विभिन्न प्रकार की समस्याएँ आ रही है। तथा भविष्य में उक्त रास्ते की जगह पर अतिक्रमण होने की सम्भावना है। प्रार्थी की भूमि पर आने जाने का उक्त सिवायचक भूमि में बने रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए उपरोक्त रास्ता घोशित करवाने का प्रार्थी अधिकारी है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2095/3897 तक आने जाने हेतु 251 ए आर0टी0एक्ट0 के तहत सिवायचक भूमि खसरा संख्या 2093, 2094 में से 15 फिट रास्ता घोषित करवाना चाहता है, इस हेतु प्रार्थी नियमानुसार रास्ते हेंतु उपयोग होने वाली भूमि की कीमत जमा करवाने हेतु तैयार है। उक्त मौजूदा रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने हेतु पूर्व में तहसीलदार साहब से निवेदन किया था परन्तु उनके द्वारा उपखण्ड न्यायालय में कार्यवाही किये जाने की कहने पर प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। प्रार्थी की खाते की भूमि ग्राम कालाभाटा पटवार मण्डल अलोद तहसील

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

हिण्डोली में विस्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 2095/3897 वाके ग्राम कालाभाटा पटवार मण्डल अलोद तहसील हिण्डोली में आने जाने हेतु सिवायचक भूमि 2093, 2094 में से 15 फिट रास्ता घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड कालाभाटा में दर्ज करने के आदेश फरमावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सरकार की ओर से नायब तहसीलदार दबलाना की ओर से पत्रांक :–राजस्व/25/24 दिनांक :–17.01.2025 से प्रस्तावित रास्ते के बाबत जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2095/3897 जो कि प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि वाके ग्राम कालाभाटा पटवार मण्डल अलोद में आने जाने हेतु भूमि खसरा संख्या 2047, 2092 जो कि राजकीय सिंवायचक भूमि है, में से होते हुए 15 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जावे। इस बाबत नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है, उसकी घोषणा की जावे। प्रार्थी इस बाबत निर्धारित प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण मे नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा संख्या 2047, 2092 में से 15 फिट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खाता संख्या 28 के खसरा संख्या 2095/3897 वाके ग्राम कालाभाटा पटवार मण्डल अलोद में आने–जाने हेतु नायब तहसीलदार दबलाना से प्राप्त प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट अनुसार ग्राम कालाभाटा के राजकीय सिवायचक खसरा संख्या 2047(गै0मु0) में से कुल 15 फीट चौडे व 264 फीट लम्बे रास्ते में कुल 0.0368 हैक्टेयर भूमि व राजकीय सिवायचक खसरा सं0 2092(गै0मु0) मे से कुल 15 फीट चौडे व 26 फीट लम्बे रास्ते में कुल 0.0036 हैक्टेयर भूमि दोनो ख0नं0 मे से कुल भूमि 0.0404 है0 भूमि काम में आवेगी। प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी राशि 2010000/रू– प्रति हैक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि 0.0404 हैक्टेयर भूमि की डी0एल0सी0 राशि 81204/रू– जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 162408/रू को निर्धारित मद में प्रार्थी द्वारा जमा करवाकर चालान प्रति न्यायालय में पेश करने उपरान्त

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक :– 12.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

12/05/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446